कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नयारा एनर्जी लि0 द्वारा पीलीभीत–भरतपुर मार्ग (एस0एच0 33) कि0मी0 234 (चैनेज–233.155) की दॉयी पटरी खसरा संख्या–165 व 166 ग्राम नगला शीशम पर रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.065378 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का कालक्रम

1. कार्यालय जिलाधिकारी हाथरस के पत्र संख्या–3606 / जि0पू0अ0–पेट्रो0अनु0 / 2016 दिनांक 10.11.2016 द्वारा पीलीभीत–भरतपुर मार्ग (एस0एच0 33) कि0मी0 234 (चैनेज–233.155) की दॉयी पटरी खसरा संख्या–165 व 166 ग्राम नगला शीशम तहसील हाथरस जनपद–हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया गया था कि यदि आवेदक द्वारा एक वर्ष की अवधि में वन विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त समझा जायेगा तथा इस सम्बन्ध में आवेदक का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. प्रकरण में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा दिनांक 04.01.2022 को प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस रेंज द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य पाया गया। उक्त के क्रम में कार्यवाही स्वरूप, प्रयोक्त एजेंसी के विरुद्ध एच–2 केस संख्या–05 / हाथरस / 2022–23 दिनांक 07.04.2022 निर्गत किया गया।
4. उक्त प्रस्ताव को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पूर्ण कर इस कार्यालय के पत्रांक 290 / 14–1 दिनांक 27.07.2022 द्वारा कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया।
5. उक्त प्रस्ताव में वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा लगाई गयी आपत्ति के कम में प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के फलस्वरूप प्रमुख वनसंरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश दिनांक 03.05.2005 के अनुपालन में 04 बिन्दुओं की सूचना एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय के पत्रांक एफ0न0 11–42 / 2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 द्वारा जार निर्देशों के अनुपालन में पेनल्टी की गणना संलग्नकर इस कार्यालय के पत्रांक 935 / 14–1 दिनांक 29.09.2022 द्वारा प्रस्ताव पुनः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया।
6. प्रस्ताव में वृत्त स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त, वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के द्वारा कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया।
7. प्रेषित प्रस्ताव पर उ0प्र0 शासन के पत्र पी–349 / 81–2–2022–800(376) / 2022 दिनांक 30.12.2022 एवं 210 / 81–2–2022–800(376) / 2022 दिनांक 02.02.2023 द्वारा उक्त प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 2989 / 35–1 दिनांक 18.03.2023 द्वारा प्रस्ताव वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़ को प्रेषित किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव शासन के पत्र 996 / 81–2–2022–800(376) / 2022 दिनांक 13.04.2023 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया।

उल्लंघन की स्थिति

प्रकरण जनपद हाथरस में नयारा एनर्जी लि0 द्वारा पीलीभीत–भरतपुर मार्ग (एस0एच0 33) कि0मी0 234 (चैनेज–233.155) की दॉयी पटरी खसरा संख्या–165 व 166 ग्राम नगला शीशम पर रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के किया गया है एवं वर्तमान में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन विद्यमान है।

उल्लंघन हेतु दोषी प्राधिकरण/विभाग का नाम

1. श्री संजीव कुमार शर्मा प्रतिनिधि, नयारा एनर्जी लि0 –भारत सरकार के पूर्वानुमति के रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने के कारण।

उल्लंघन हेतु दोषी प्राधिकरण/विभाग के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

1. जनपद जनपद हाथरस में नयारा एनर्जी लि0 द्वारा पीलीभीत–भरतपुर मार्ग (एस0एच0 33) कि0मी0 234 (चैनेज–233.155) की दॉयी पटरी खसरा संख्या–165 व 166 ग्राम नगला शीशम पर रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य भारत सरकार से पूर्वानुमति के बिना किये जाने के फलस्वरूप रेंज केस सं0 05/हाथरस/2022–23 दिनांक 07.04.2022 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–33 के तहत एच0–2केस निर्गत किया गया।विषयक निर्गत एच0–2 केस में अर्थदण्ड के साथ दण्डित करते हुए मु0 25,000.00 (हजार रूपये मात्र) बसूल किया गया है। उक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात् निर्धारित दण्डात्मक एन0पी0वी0 पेनल्टी स्वरूप, कैम्पा मद में जमा करायी जायेगी।

उक्त प्रस्ताव में उल्लघंन हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(डा0 चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में **Penalty** की प्रस्तावित गणना

कार्योपरान्त स्वीकृति के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नयारा एनर्जी लि0 द्वारा पीलीभीत–भरतपुर मार्ग (एस0एच0 33) कि0मी0 234 (चैनेज–233.155) की दॉयी पटरी खसरा संख्या–165 व 166 पर रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.065378 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति से पूर्व कार्य पूर्ण करा कर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 5-2/2017-FC दिनांक 28.03.2019 द्वारा द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii- In case of public utility projects of the government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन0पी0वी0–प्रभावित वनभूमि (0.065378) X 9,57,780 =	62,618.00
2. प्रस्ताव के प्रकिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण–5 x 62,618 = (वर्ष 2017 से उल्लंघन हेतु–5 गुना)	3,13,090.00
3. 12 प्रतिशत Simple Interest = 3,13,090 , x 12% =	37,571.00
4. 05 वर्ष की एन0पी0वी0 पर एक वर्ष का ब्याज (37,571 / 5) =	7514.00
5. 05 वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज (7514 x 5) =	37571.00
6. दो गुना एन0पी0वी0 एवं 05 वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज= (313090 + 37571)	3,50,661.00

(रूपये तीन लाख पचास हजार छ सौ इकसठ मात्र)

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।